भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 60

उत्तर देने की तारीख: 18.11.2019

राजस्थान में केन्द्रीय विद्यालय

60. श्रीमती रंजीता कोलीः

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) किसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने हेतु निर्धरित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त मानदंडों के तहत राजस्थान सहित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यरत केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या कितनी है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में केन्द्रीय विद्यालयों को चलाने हेतु सरकार द्वारा आबंटित निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) नए केन्द्रीय विद्यालयों (केवी) को खोलने के प्रस्ताव केवल तभी विचार किया जाता है, जब इन्हें भारत सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मंत्रालयों या विभागों द्वारा प्रायोजित किया जाता है, और नया केवी स्थापित करने के लिए संसाधनों के साथ-साथ सरकार की आवश्यक स्वीकृति की उपलब्धता भी उपलब्ध होती है। नए केवी खोलने के लिए विभिन्न प्रायोजक प्राधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों को भी "चैलेंज मैथड" के तहत अन्य प्रस्तावों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होती है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में केवी स्थापित करने के लिए मापदंडों/मानदंडों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) महानगरीय शहरों, हैदराबाद और बेंगलुरु, अतिवादी वामपंथी जिले/पहाड़ी क्षेत्रों/ पूर्वोत्तर क्षेत्र, समतल किए गए समीप के भूखंड में 2.50 से 5.00 एकड़, अन्य स्थानों में 5.00 से 10.00 एकड़, जैसी स्थिति हो, को स्थायी अंतरण/नाममात्र के किराए, अर्थात, रू. 1 /- प्रति वर्ष की दर से 99 वर्ष की लीज पर नि:शुल्क भूमि प्रदान करना।

(ii) प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई भूमि पर केवीएस द्वारा स्थायी विद्यालय भवन निर्मित होने तक पर्याप्त स्थान के साथ 7 मी. x7 मी. आकार के 15 कमरों वाला किराया-मुक्त अस्थायी आवास सुविधा।

(iii) प्रस्तावित विद्यालय में कम से कम 50% कर्मचारियों को आवासीय सुविधा।

(iv) रक्षा/केंद्रीय/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के कम से कम 500 कर्मचारियों का व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से स्टेशन पर (एलडब्ल्यूई जिलों/पहाड़ी क्षेत्रों/एनईआर के मामले में 200) पर ध्यान केंद्रित करना।

(v) प्रस्तावित केवी में नामांकन के लिए उपरोक्त प्राथमिकता श्रेणियों के न्यूनतम 200 छात्रों की उपलब्धता।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/उच्चतर शिक्षण क्षेत्र संस्थान से प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रोजेक्ट/आईएचएल सेक्टर के तहत भी केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाते हैं, जिसमें सभी आवर्ती और गैर-आवर्ती व्यय संबंधित प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा वहन किए जाते हैं।

(ख) राजस्थान राज्य में 76 केवी सहित देश में 1224 केवी कार्यात्मक हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) तीन विशिष्ट विषय शीर्षों- 'सहायता अनुदान- वेतन', 'सहायता अनुदान- सामान्य', और 'सहायता अनुदान- पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन', के तहत केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) को निधियां आवंटित की जाती है। इन अनुदानों को राज्य-वार आवंटित नहीं किया जाता है। तथापि, राजस्थान में केवीएस संचालित करने के लिए विगत तीन वर्ष के दौरान केवीएस द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	रू. करोड़ में
2016-17	286.30
2017-18	304.74
2018-19	329.53

*****

अनुबंध

राजस्थान में केन्द्रीय विद्यालय के संबंध में श्रीमती रंजीता कोली, माननीय संसद सदस्य द्वारा 18 नवंबर, 2019 को पूछे जाने वाला लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 60 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

1224 केंद्रीय विद्यालयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या
(13.11.2019 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**केवी की संख्या**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	02
2	आंध्र प्रदेश	35
3	अरुणाचल प्रदेश	17
4	असम	58
5	बिहार	48
6	चंडीगढ़	05
7	छत्तीसगढ़	35
8	दादरा और नगर हवेली	01
9	दमन और दीव	01
10	दिल्ली	46
11	गोवा	05
12	गुजरात	45
13	हरियाणा	34
14	हिमाचल प्रदेश	25
15	जम्मू और कश्मीर	36
16	झारखंड	39
17	कर्नाटक	51
18	केरल	38
19	लक्षद्वीप	01
20	लद्दाख	03
21	मध्य प्रदेश	110
22	महाराष्ट्र	59
23	मणिपुर	09
24	मेघालय	07
25	मिजोरम	04
26	नगालैंड	06
27	ओडिशा	62
28	पुद्दुचेरी	04
29	पंजाब	50
30	**राजस्थान**	**76**
31	सिक्किम	02
32	तमिलनाडु	43
33	तेलंगाना	35
34	त्रिपुरा	09
35	उत्तर प्रदेश	118

36	उत्तराखंड	44
37	पश्चिम बंगाल	61
कुल		**1224**

******